राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

श्रेणी (वर्ग) के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय अभ्यर्थियों से जाति एवं अन्य वर्ग भरवाये जाते हैं, जिनका परीक्षा के परिणाम में आरक्षण या वरीयता निर्धारण के रूप में प्रभाव पड़ता है। अनेक अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अपने वर्ग (श्रेणी) को अंकित करने में त्रुटि कर जाते हैं, जिससे अभ्यर्थी एवं आयोग दोनों स्तरों पर परिणाम में विसंगति उत्पन्न होती है। इस सम्बन्ध में कतिपय सामान्य त्रुटियों के निराकरण हेतु निम्न निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें–

1. **दण्डवत आरक्षण (Vertical Reservation) संबंधी प्रावधान (जैसे– जाति सम्बन्धी आरक्षण)–** जाति सम्बन्धी आरक्षण का अंकन करने से पूर्व यह ध्यान रखें कि किसी की भी जाति सदैव पिता की जाति के आधार पर तय होती है। विशेषतः अभ्यर्थी के महिला होने की स्थिति में यदि वह विवाहित है, तो उसका जातिगण आरक्षण उसके पति की जाति के आधार पर न होकर पिता की जाति के आधार पर तय होती है। यदि वह मूलतः किसी अन्य राज्य की है और वह विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा, जब उसकी जाति उसके पूर्ववर्ती राज्य में भी समान आरक्षित श्रेणी में आती है। इनमें यदि कोई अभ्यर्थी अपने पूर्ववर्ती राज्य तथा राजस्थान राज्य दोनों में ही आरक्षित श्रेणी में है, किन्तु दोनों में आरक्षण श्रेणी भिन्न है, तो राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार श्रेणी निर्धारण किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें सामान्य वर्ग में परिगणित किया जाता है ।

2. **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) संबंधी प्रावधान (जैसेः– विधवा–विवाह विच्छिन्न महिला, निःशक्त, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि सम्बन्धी)–**किसी परीक्षा में जहां क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान है, वहां श्रेणी में परिगणित होने की अन्तिम तिथि आवेदन की अन्तिम तिथि होती है। उदाहरणार्थ किसी महिला अभ्यर्थी के विधवा या विवाह विच्छिन्न महिला श्रेणी में परिगणित होने की अन्तिम तिथि आवेदन की अन्तिम तिथि ही होती है। इसके उपरान्त हुए परिवर्तन को श्रेणी परिवर्तन के लिए अमान्य किया जाता हैं। यही नियम निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक आदि पर भी लागू होता है। विवाह विच्छिन्न महिला के अन्तर्गत लाभ तभी देय होगा, यदि उसे सक्षम न्यायालय अथवा विधि द्वारा इस हेतु आदेशित किया जा चुका हो।

3. **भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान–** इस संबंध में दो अतिरिक्त प्रावधानों का ध्यान रखें–

    1. अभ्यर्थी का स्वयं भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है, न कि उसका आश्रित या संबंधी होना।
    2. आवेदन की अन्तिम तिथि को उसका वस्तुतः सेवानिवृत होना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी को केवल विभाग से आवेदन हेतु अनुमति ही नहीं मिली है, बल्कि उसे सेवानिवृत भी किया जा चुका है।

4. **राजकीय सेवारत कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधान–** विभिन्न परीक्षाओं में राजस्थान राज्य के सेवारत कर्मचारियों आदि के लिए विशेष प्रावधान है, जिनमें कुछ में केवल आयु संबधी शिथिलता दी जाती है और कुछ में क्षैतिज आरक्षण। सामान्यतया राजकीय कर्मचारी के रूप में सेवा नियमों के अन्तर्गत आयु

सीमा में विशेष छूट का प्रावधान होता है व उसके अलग–अलग उपवर्गों जैसे– अराजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी अथवा विभागीय कर्मचारी होने पर आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। इस प्रकार एक कार्मिक उक्त में से दोनों अथवा किसी एक लाभ का पात्र हो सकता है। यह लाभ भी सेवा नियम के अध्यधीन होता है। अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन के अनुरूप कार्यवाही करें। इस संबंध मे विशेषतः दो बिन्दु ध्यान मे रखें –

1. उक्त लाभ केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को प्राप्त है, अन्य को नहीं। अर्थात् अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जाएगें और वे इस कॉलम को न भरें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यह लाभ केवल स्थाई कर्मचारियों के लिए है। अस्थाई तदर्थ या संविदा पर नियुक्त कार्मिक इस लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2. वस्तुतः अधिकांश परीक्षाओं में **राज्य कर्मचारी** के रूप में केवल **आयु सीमा में छूट** का प्रावधान है और **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी होने** पर ही उसे अतिरिक्त रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** राज्य कर्मचारी तो होता है किन्तु प्रत्येक राज्य कर्मचारी **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** नहीं होता है। जो अभ्यर्थी राजकीय कर्मचारी के साथ–साथ **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** हैं केवल वे ही इस कॉलम को भरें अन्यथा नहीं। **विभागीय कर्मचारी** के अन्तर्गत भी केवल उसी विभाग के अभ्यर्थी पात्र माने जाते है, जिनके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है और उनके लिए सेवा नियमों में आरक्षण का प्रावधान है।

5. **निःशक्त सम्बन्धी प्रावधान–** निःशक्तजन के प्रत्येक उपवर्ग में भी निःशक्तता की अलग–अलग श्रेणियां हो सकती हैं, जो आरक्षण की बजाए वस्तुतः उस पद के दायित्वों का निवर्हन करने में उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी उपवर्ग में ऐसी श्रेणी पृथक से निर्दिष्ट हो, तो उस उपवर्ग में भी केवल उस विशेष श्रेणी निःशक्तता वाले अभ्यर्थी ही चयन किये जाएंगे, अन्य नहीं।